न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/004

आत्माराम आत्मज श्री गिर्राज आयु 27 वर्ष जाति मीणा निवासी माणी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. करतूर चन्द आत्मज श्री हरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम माणी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. घीसी बाई पत्नी गिर्राज जाति मीणा निवासी ग्राम आसलगॉव तहसील उनियारा जिला टॉक ।
3. काली बाई पुत्री गिर्राज पत्नी रामकेश मीणा निवीस ग्राम आसलगॉव तहसील उनियारा जिला टॉक ।
4. बद्री आत्मज श्री किशन जाति मीणा निवासी माणी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. जमनालाल आत्मज श्री किशन जाति मीणा निवासी माणी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. मथुरा लाल आत्मज श्री किशन जाति मीणा निवासी माणी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. गीता पुत्री कल्याण पत्नी टीकाराम जाति मीणा निवीस हाल रानीपुरा तहसील उनियारा जिला टॉक ।
8. सीता बाई पुत्री कल्याण पत्नी प्रकाश जाति मीणा हाल निवासी जडावता तहसील व जिला सवाईमाधोपुर ।
9. प्रसन्न बाई पत्नी रामप्रसाद जाति मीणा निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
10. शंकर आत्मज श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
11. लोडकी लाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
12. कालूलाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
13. फूलबाई पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी हाल ग्राम देवली तहसील उनियारा जिला टॉक ।
14. भूमिधारी तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नन्दसिंह हाडा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 13 में खसरा नम्बर 56/281 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 60 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है । उक्त भूमि पर सदैव का आने–जाने का रास्ता प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 60 से खसरा नम्बर 59 में होकर खसरा नम्बर 55 के पूर्वी दक्षिणी भाग में होकर जाता है । यह रास्ता पुराना है जो करीब 12 फिट चौडा है । इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 56/281 में आने–जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है । इस भूमि पर आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 59 और खसरा नम्बर 55 जो परिशिष्ट (क) में दर्शायी गई लाईन 'अ' से 'ब' तक नक्शे में दर्ज खसरा नम्बर 58 की उत्तरी मेर के बाद लाल लाईन जो 'अ' से 'ब' अक्षरों के बीच दर्शायी है के बीच स्थान पर 15 फिट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे में कायम करवाना चाहता है जिसका प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है । खसरा नम्बर 59 व खसरा नम्बर 55 की जितनी भूमि रास्ते के काम में आवेगी उस भूमि का नियमानुसार प्रतिकल उक्त भूमियों के खातेदारान को अदा करने अथवा राजकोष में जमा कराने को तैयार है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 56/281 में आने–जाने, ट्रेक्टर–ट्रोली व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये खसरा नम्बर 59 और खसरा नम्बर 55 में खसरा नम्बर 58 में से 15 फिट चौडा रास्ता कायम कर उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया जावे ।

4. अप्रार्थी कम 1, 4, 5 व 6 के द्वारा इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.02.2020 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 59 एवं खसरा नम्बर 55 में से 06 गठ्ठे लम्बा गुणा 2 गठ्ठे चौडा यानि 12 वर्ग गठ्ठा अर्थात् 13 बिस्वानसी भूमि रास्ते हेतु प्रचलित बाजार दर का दोगुना राशि राजकोष में जमा कराने पर रास्ता कायम करने एवं उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2020 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण

न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.11.2020 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई । जानकारी प्राप्त होते ही अपीलान्ट ने दिनांक 24.11.2020 को नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 18.12.2020 को नकल प्राप्त हुई । नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को प्रोपर सम्मन तामिल नहीं हुए हैं । सम्मन पर अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर हैं । अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में वकील नियुक्त नहीं किया है और न ही उनके द्वारा इकबाली जवाब पेश किया गया है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में कोई जवाब उपलब्ध नहीं है फिर भी परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2020 निरस्त फरमया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 1 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट उपस्थित हुए हैं और उनकी ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं । तहसीलदार नैनवा ने भी अपने रिपोर्ट में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 के खेत पर आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया है । परीक्षण न्यायालय ने आदेश पारित में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2020 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) का पेश कर अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 56/281 पर आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । नया रास्ता कायम उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का कथन किया ।

13. परीक्षण न्यायालय की आदेश संचिका का अवलोकन किया । दिनांक 23.10.2019 की आदेश संचिका के अनुसार अप्रार्थी कम 1, 4, 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार ने वकालतनामा पेश किया उसी दिन अप्रार्थी कम 1, 4, 5 व 6 की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार अपीलान्ट का उक्त कथन सही प्रतीत नहीं होता है कि उन्हें परीक्षण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं । अपीलान्ट का यदि यह कथन है कि उनके हस्ताक्षर फर्जी किये है तो इस सम्बन्ध में वे परीक्षण न्यायालय में भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की । अपीलान्ट अपीलीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि उनको स्वयं को नोटिस तामील हुए हैं इसके पश्चात् वे स्वयं परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं जिसमें इकबालिया जवाब दिनांक 23.10.2019 को प्रस्तुत किया । तहसीलदार की रिपोर्ट अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब से पूर्व दिनांक 24.09.2019 की है जिस पर अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट ने कोई एजराज नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं है जिससे साबित होता हो कि अपीलान्ट द्वारा अपने फर्जी हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिखित में कोई आपत्ति पेश की गई हो । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इकबालिया जवाबदावे के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.02.2020 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा